न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0पत्र संख्या 16/21

1. श्रीराम पुत्र गणेश
2. सुरज्ञान पुत्र गणेश समस्त जाति कुमावत निवासीगण रघुनाथगढ तह0 व जिला सीकर

–प्रार्थीगण –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र घासी
2. श्रवण कुमार पुत्र घासी समस्त जाति खाती (जांगिड़ ब्राहम्ण) निवासीगगण रघुनाथगढ तहसील व जिला सीकर हाल निवासी गुरूकृपा हॉस्पीटल की गली, पिपराली रोड़ सीकर
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रघुनाथगढ तहसील व जिला सीकर
4. तहसीलदार सीकर

आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्त0 अधि0

आदेश

दिनांक : 1.08.2022

प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन 251ए राज0काश्त0 अधि0 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि उसके कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1986 रकबा 1.0100 है0 ग्राम लखीपुरा में अवस्थित है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिये कोई अधिकृत रास्ता नहीं है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में भी रास्ते का कोई अंकन नहीं है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1984/2523 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे 16 फिट चौड़ा रास्ता काम में लेते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भी अपने खेत खसरा नम्बर 1984/2523 में अहाने जाने के दक्षिणी ओर अवस्थित खसरा नम्बर 2813/1976 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे 16 फिट चौड़ा रास्ता माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त किया था। जिसके खसरा नम्बर 2814/1976 कायम किये गये यही रास्ता प्रार्थीगण के खेत 1986 जिसके दक्षिण में ढाणी बनी हुई है में आते जाते रहते है। यह रास्ता मेघा हाईवे सीकर कोटपुतली पर अवस्थित है। यही रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिये लघुतम है। अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

को खेत खसरा नम्बर 2814/1976 जो कि मौके पर 16 फिट चौड़ा है से प्रवेश कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 1984/2523 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 16 फिट चौड़ा रास्ता मौके पर कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार से रास्ते बाबत प्रस्ताव मंगवाये गये। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अनुपस्थित रहे अतः इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 1986 में खसरा नम्बर 1988 से टलकर खसरा नम्बर 1987 से आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीगण को कोई रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 1984/2523 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे 16 फिट का नहीं है। इसलिये उक्त रास्ता काम में लेने का कथन गलत है। प्रार्थीगण के पुख्ता आवासीय मकान खसरा नम्बर 1986 में 20 वर्ष पूव से बने हुऐ है जिसमें 1987 से होकर 1988 के जरिये आवागमन करते हैं। अप्रार्थीगण को अपने खते खसरा नम्बर 1984/2523 में आवागमन हेतु रास्ता नहीं था इसलिये प्रार्थीगण ने अपने खेत के दक्षिण में सड़क पर अर्थात 1976 में से होकर धारा 251 ए के तहत प्राप्त किया था । अप्रार्थीगण ने अपने खेत के चारों ओर तारबंदी कर रखी है तथा लोहे का गेट लगा रखा है। प्रार्थीगण का कथन गलत है कि वह भी उस रास्ते से आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1986 में आवागमन हेतु सबसे छोटा रास्ता खसरा नमबर 1987 में से ओकर आम रास्ता 1988 से दक्षिण में तथा उससे दक्षिण में प्रार्थीगण के खेत है। आम रास्ता ख0 नं0 1988 से प्रार्थीगण के खेत की दूरी केवल 50 मीटर है जबकि अप्रार्थीगण के खेत से दूरी 156 मीटर है जो अधिकतम है। प्रार्थीगण मेगा हाईवे पर पहूंचने के लिये जवाबदातागण के खेत में से रास्ता मांग रहे है जो कानूनन नहीं दिया जा सकता है । धारा 251ए में सुविधाजनक रास्ता देने का प्रावधान नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार सीकर से रास्ते बाबत प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/2022/917 दिनांक 30.6.2022 को प्राप्त हुऐ।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई जो मुताबिक आवेदन एंव जवाब आवेदन रहीं वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के तर्को के समर्थन में आरआरटी 2016 (2) पेज 798, 1149 एवं आरआरटी सप्ली. 2018–19 पेज 511 की नजीर पेश की एवं दस्तावेजात पेश किये। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 1986 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1984/2523 जिसमें से रास्ता चाहा

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

गया है कि खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनके खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लघुतम रास्ता खसरा नम्बर 1984/2523 में से होकर ही जाता है तथा मौके पर 16 फिट रास्ता मौजूद है। इसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने कथन किये हैं कि प्रार्थीगण का आवागमन उनकी भूमि खसरा नम्बर 1984/2523 में से नहीं होकर 1988 आम रास्ते से खसरा नम्बर 1987 में से होकर है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नरम्बर 1986 में आवागमन हेतु भी लघुतम रास्ता खसरा नम्बर 1987 से ही है जिसकी दूरी केवल 50 मीटर है तथा प्रार्थीगण के खेत से जवाबदाता के खेत की दूरी 156 मीटर है। केवल मात्र मेगा हाईवे पर से जुड़ने के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों के कथनों की प्रमाणिकता के लिये हमने तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव संख्या 917 दिनांक 30.6.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहसीलदार के प्रस्ताव में मद संख्या 1 में यह अंकित है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है, प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने हेतु पड़ोसी के खेत से पगडंडी से आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण के खेत से लघुतम दुरी पर खसरा नम्बर 1988 गै0 मू0 रास्ता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के नजरी नक्शे का भी अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1988 जो कि गै0 मू0 रास्ता है से लगता हुआ खेत खसरा नम्बर 1987 है तथा इसके लगता हुआ प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1986 है जिससे प्रार्थीगण के खेत की लघुतम दूरी है। तहसीलदार के प्रस्ताव से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण लघुतम दुरी के रास्ते के बजाय स्टेट हाईवे सड़क से रास्ता चाहते हैं। जो की नजरी नक्शें के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत से अधिकतम दूरी पर है। यह सही है कि है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है परन्तु प्रार्थीगण के आवेदन से यह मंशा जाहिर होती है कि वह सुविधाजनक रास्ते के लिये न्यायालय में आया है ना कि रास्ते की आवश्यकता के लिये। प्रार्थीगण को रास्ते के लिये सर्वप्रथम लघुतम दूरी के रास्ते से धारा 251ए के प्रावधानों के तहत रास्ता दिया जा सकता है सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अत्यंत आवश्यकता एवं लघुतम दूरी का नही होकर सुविधाजनक एवं अधिकतम दूरी का होने के कारण आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1.8.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

1/8/22

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर